स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जो वर्तमान में जैरकार है। वादग्रस्त आराजी के भू राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। चुंकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पहले से घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय हाजा प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में जैरकार है। मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बध में जब तक मूल वाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वादग्रस्त आराजी में से किस खातेदार का कौनसा भू भाग है तथा कितना हक हिस्सा निहित है। ऐसी दशा में किसी प्रकार का प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थी के पक्ष में स्थापित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन :- चूंकि पूर्व विवचेन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि होने के कारण केवल प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित नहीं हो सकता। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :- चुंकि पूर्वविवेचित दोनो बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हुये है साथ ही प्रार्थी यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहें है कि यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 02/04/2025 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)